

कार्यालय अध्यक्ष वाणिज्यकर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक: वा०क०अधि०/पू०पी०ग०(संशोधित) / १८४१/२०१६, लखनऊ, दिनांक: अगस्त ०१, २०१६

आदेश

श्रीमती साधना त्रिपाठी, सदस्य वाणिज्यकर अधिकरण पीठ-२ लखनऊ के विशेष परिस्थितियों में अवकाश पर जाने के कारण आदेश संख्या १७२२/१६ दिनांक १३.०७.२०१६ के द्वारा स्वयं के साथ सदस्य पीठ-२ लखनऊ एवं सदस्य पीठ-३ लखनऊ को सम्मिलित कर दिनांक ०१.०८.१६ से ०३.०८.१६ तक की अवधि के लिए मुख्यालय पर गठित पूर्ण पीठ अपरिहार्य परिस्थितियों में संशोधित की जाती है तथा उक्त अवधि के लिए मुख्यालय गठित पूर्ण पीठ में श्रीमती साधना त्रिपाठी, सदस्य पीठ-२ लखनऊ के स्थान पर श्री संतोष कुमार गंगे, सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-४ कानपुर को सम्मिलित किया जाता है। पूर्ण पीठ गठन कार्यक्रम की शेष स्थिति यथावत् रहेगी।

सम्बन्धित को तदनुसार अवगत कराया जाये।

Sel. ०१८४१/२०१६
(डी०एस० त्रिपाठी)

एच.जे.एस.

अध्यक्ष,
वाणिज्यकर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकनः वा०क०अधि०/पू०पी०ग०/१८४१/२०१६, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

१. सदस्य, वाणिज्यकर अधिकरण पीठ-२ लखनऊ।
२. सदस्य, वाणिज्यकर अधिकरण पीठ-३ लखनऊ।
३. सदस्य वाणिज्यकर अधिकरण पीठ-४ कानपुर।
४. पेशकार/वरिष्ठ सहायक (कम्प्यूटर)/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता) मुख्यालय।

आज्ञा से,

१८४१/२०१६
निबन्धक
वाणिज्यकर अधिकरण
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कार्यालय अध्यक्ष वाणिज्यकर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक:वा०क०अधि०/यु०पी०ग०/ / 2016, लखनऊ, दिनांक: अगस्त 01, 2016

आदेश

उत्तर प्रदेश वैट नियमावली 2008 के नियम 64(3) में निहित शक्तियों के अधीन माह सितम्बर 2016 का युगल पीठ गठन कार्यक्रम निम्नवत् निर्गत किया जाता है:-

| क्र०सं० | बैठने का स्थान | कार्य-आवेदन | कार्य-अवधि |
|---------|--------------------------|----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | पीठ-1 आगरा पीठ-1 आगरा | पीठ-1 व 2 आगरा पीठ-1 व 2 आगरा | 05.09.16 से 09.09.16 26.09.16 से 30.09.16 |
| 2 | पीठ-1 कानपुर | पीठ-1, 2, 3, व 4 कानपुर | 05.09.16 से 09.09.16 |
| 3 | पीठ-1 नोएडा | पीठ-1 व 2 नोएडा | 13.09.16 से 16.09.16 |
| 4 | पीठ-1 मेरठ | पीठ-1 व 2 मेरठ | 05.09.16 से 09.09.16 |
| 5 | पीठ-1 लखनऊ | पीठ-1, 2 व 3 लखनऊ | 19.09.16 से 24.09.16 |
| 6 | पीठ-1 वाराणसी | पीठ-1, 2, 3, 4, 5 व 6 वाराणसी | 26.09.16 से 30.09.16 |

उपरोक्तानुसार गठित युगल पीठ में सम्मिलित होने वाले सदस्यगण के नाम बाद में यथा-समय घोषित किये जायेंगे।

समस्त पीठ कार्यालयों को तदनुसार सूचित किया जाये।

Sd.
(डी०एस० त्रिपाठी)

एच.जे.एस.

अध्यक्ष,

वाणिज्यकर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन:वा०क०अधि०/यु०पी०ग०/1847 / 2016, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त सदस्य, वाणिज्यकर अधिकरण, उत्तर प्रदेश को तीन प्रतियों में इस अनुरोध के साथ कि युगल पीठ गठन सम्बन्धी आदेश की एक-एक प्रति राज्यप्रतिनिधि तथा स्थानीय अधिवक्ता बार को हस्तगत करायी जाये।
2. कमिशनर, वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. अध्यक्ष/सचिव, उत्तर प्रदेश सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन/टैक्स लायर्स एसोसिएशन लखनऊ को इस आशय एवं अनुरोध के साथ कि इस सूचना से समस्त अधिवक्तागण, जो उक्त टैक्स बार एसोसिएशन के सदस्य हों, को अपने स्तर अवगत करायें।
4. श्री शिव कुमार अरोरा, अध्यक्ष, उ०प्र०टैक्स बार एसोसिएशन, एस.एस.कालेज रोड, जमुना विहार, खटौली, मुजफ्फरनगर-251201 व श्री रमेश प्रसाद जायसवाल, महासचिव, उ०प्र० टैक्स बार एसोसिएशन, एस-5/45, अर्दली बाजार, वाराणसी-221002 को इस अनुरोध के साथ कि इसकी सूचना समस्त अधिवक्तागण को अपने स्तर से प्रेषित करने का कष्ट करें।
5. श्री आर०एस० गोयल, अधिवक्ता टैक्सयों एकेडमी एण्ड वेलफेर फोरम वेस्टर्न उ०प्र०, 52 नगर निगम कम्पाउण्ड, केसरगंज, घटाघर रोड, मेरठ सिटी को इस अनुरोध के साथ कि इसकी सूचना समस्त अधिवक्तागण, जो टैक्स बार के सदस्य हों, को अपने स्तर से प्रेषित करने का कष्ट करें।
6. सम्बन्धित पीठ के मुन्सरिम/अहलमद को निर्देशित किया जाता है कि नियत युगल पीठ में पुराने बादों को पर्याप्त मात्रा में नियत करें।
7. वरिष्ठ लिपिक (विवरण/कम्प्यूटर) मुख्यालय।

आज्ञा से,

निबन्धक

वाणिज्यकर अधिकरण
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।